

# निकाह खुतबा

मैं पहले कुरआन करीम की वह आयत-ए-मुकररमा पेश करता हूँ जो हुज़ूर अकदस मुहम्मद मुस्तफा (स) निकाह के दौरान तिलावत किया करते थे।

ऐ लोगो, अपने रब्ब का तक्वा इख्तियार करो जिस ने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उस का जोड़ा बनाया और फिर उन दोनों में से मरदों और औरतों को बकसरत फैला दिया। और अल्लाह से डरो जिस के नाम के वास्ते से तुम एक दूसरे से माँगते हो और रिहमों (के तकाज़ों) का भी खयाल रखो। यकीनन अल्लाह तुम पर निग्रान है।	4:2
--	-----

इस आयत से यह पता चलता है कि जो भी काम हम करें वह तक्वा पर मबनी होना चाहिए, तक्वा पर मबनी जो भी चीज़ हो वह आसमान की बुलंदी पर जा उठता है और उसका फल हमेशा मिलता है और जब हम तक्वा को छोड़ेंगे वह ज़मीन पर गिर पड़ेगा और उधर ही खतम हो जाएगा।

इस आयत का दूसरी पहलू यह है कि इसमें रिहमी रिश्ते का खयाल रखने का हुक्म दिया गया है। जब दो जान एक हो जाता है, दोनों खानदान एक हो जाता है, और लड़की का माँ बाप लड़के का माँ बाप बन जाता है और लड़के का माँ बाप लड़की का मा बाप बन जाता है और दोनों को एक दूसरे का माँ बाप को अपना समझकर दोनों का मुश्किलता दूर करने की कोशिश करनी चाहिए।

शादी एक खुशी का मौका है और हर एक खुशी में एक शुक़र का हिस्सा भी है। हम ईद के दिन पहले नमाज़ पढ़कर ही खुशिया मनाते हैं। लेकिन शादी में ऐसे नमाज़ का हुक्म तो नहीं है। बल्कि, खुदा के बाद अपने माँ बाप को याद करके उन के लिए ख़िदमत करने का मौका तो शादी के बाद ही मिलता है। बचपन से वे हमें पाल पोसकर बड़ा किया, हमारे हर ज़रूरतों का खयाल रखकर उनकी खुशियाँ छोड़कर वह हमारे लिए ज़िंदगी गुज़ारी। उनके इहसानात का बदला तो हम नहीं दे सकते लेकिन जब हम खुशियाँ मना रहे हैं, उनके ज़िंदगी में भी उस खुशी की जलकियाँ लाने की कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। माँ बाप को भूलने वाले नाफरमान औलाद की तरह हम को न बनना चाहिए। इस ज़िम्न कुरआन क़रीम का इर्शाद है कि: -

<p>और तेरे रब्ब ने फैसला सादिर कर दिया है के तुम उस के सिवा किसी की इबादत न करो और वालिदैन से इहसान का सुलूक करो। अगर उन दोनों में से कोई एक तेरे पास बुड़ापे की उमर को पहुँचे या वह दोनों ही, तो उन्हें नर्मी और इज्ज़त के साथ मुखातिब कर।</p>		17:24
<p>और उन दोनों के लिए रहम से इज्ज़ का पर छुका दे और कह</p>		17:25

कि ऐ मेरे रब्ब, उन दोनों पर रहम कर जिस तरह उन दोनों ने बचपन में मेरी तरबियत की।		
---	--	--

माँ तो अपने औलाद को दस महीने पेट में पालती है और जो भी खिदमत माँ करती है ज़ाहिरी होती है और सब के नज़र में पड़ते हैं। लेकिन बाप अपने औलाद का बोझ बीस साल से ज़्यादा उठाता है। उनका खाना पीना, कपड़ा, पढ़ाई, रहन सहन, सब का बोझ बाप के कंधों पर पड़ते हैं। बाप का खिदमत तो मख़फी होती है और जवानी में उसका मुशकिलात का पता नहीं चलता। हमें औलाद होने के बाद और खुद मुशकिलात सहने के बाद ही पता चलेगा कि औलाद का बोझ कितना भारी है। इसलिए बाप का ज़िकर खुदा के ज़िकर के साथ खुदा ने जुड़ा दिया: -

अल्लाह का ज़िकर करो जिस तरह तुम अपने आबा का ज़िकर करते हो, बल्कि उस से भी बहुत ज़्यादा ज़िकर।		2:201
---	--	-------

इसलिए वालिदैन को ग़म देकर उनके मर्ज़ी के खिलाफ़ शादी करना गुनाह है। गुनाह करने के बाद तौबा ही बाकी रहता है। जो भी ऐसी शादी करता है उनको चाहिए कि खुदा से बहुत इस्तिग़फ़ार करे, अपने वालिदैन से माफी माँगे और उनके ग़म मिटाने के लिए बहुत खिदमत करे, बहुत खिदमत करे, बहुत खिदमत करे, ताकि अपने वालिदैन की दिल से उनके लिए दुआएँ निकले।

शुकर करने की आदत एक बहुत बड़ी निअमत है अगर यह जज़बा हमारे दिल में पैदा हो जाए तो फिर कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें खुदा का यह वादा है कि अगर हम शुकर करें तो खुदा हम को और ज़्यादा निअमत अता करेगा।

और जब तुम्हारे रब्ब ने यह ऐलान		14:08
--------------------------------	--	-------

किया कि अगर तुम शुकर अदा करोगे तो मैं ज़रूर तुम्हें बड़ाऊंगा और अगर तुम नाशुकरी करोगे तो यकीनन मेरा अज़ाब बहुत सख्त है।		
---	--	--

शुकर के बाद सच्चाई का एक बहुत एहम मरतबा है। जो भी सिलसिला, अच्छाई का हो या बुराई का, वह आगे ले जाने के लिए सच्चाई बहुत ज़रूरी है। एक **Partnership Business** को आप देखिए। एक **Partner** उसमे धोखेबाज़ी से काम लेगा तो वह **business** उधर ही ख़तम हो जाएगा। शादी भी एक एहद है, वह सच्चाई के साथ पूरा करना दोनों की ज़िम्मेदारी है। खुदा तआला की इरशाद है कि

ऐ वे लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह का तक्वा इख्तियार करो और साफ सीधी से बात किया करो।		33:71
--	--	-------

पस बुतों की पलीदी से इहतिराज़ करो और झूठ कहने से बचो।		22:31
---	--	-------

कुरआन करीम से जो पहली सज़ा बताया गया है वह झूठ बोलने की वजह से है।

और उन के लिए बहुत दर्दनाक अजाब (मुकरर) है बवजह उसके कि वह झूठ बोलते थे।		2:11
---	--	------

जो भी झूठ बोलेगा खुदा तअ़ाला उसको आख़िर ज़लील करके ही छोड़ेगा। इसलिए जो भी अपना इज़्ज़त को अपने काबू में रखना चाहता है तो फिर सच्छाई उसकी ज़िंदगी की हमसफर साथी बनाना है।

हमारे हर कदम में खुदा तअ़ाला को याद रखना चाहिए और उससे दुआ करते रहना चाहिए। शादी के मौके पर भी कुछ ऐसे दुआएँ हैं कि जो हमें याद करके उस पर अमल भी करना है।

एक हदीस में रसूलुल्लाह (स) ने फरमाया जब दुल्हा पहली बार दुल्हन से मिलता है, उसके सर पर हाथ रखकर यह दुआ करें, “ऐ खुदा, हमारे रिश्ते को हमेशा कायम कर के रखना” तो फिर उन दोनों का रिश्ते को खुदा हमेशा मज़बूत रखेगा उसमे जो भी मुश्किलत आ जाए।

हर एक शख्स में अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। और ऐसी बुराई जो इस वक़्त मख़फी है बाद में ज़ाहिर होगा और बाद में हमें पता चलेगा। इसलिए बाद में आने वाली बदआख़लाक से बचने के लिए खुदा तअ़ाला ने यह दुआ सिखाता है: -

हमारे रब्ब, हमें अपने जीवन साथियों और अपने औलाद से आँखों की ठंडक अ़ता कर और हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे।	25:75
---	-------

यह दुआ बचपन से लेकर ज़िन्दगी की आख़िर दम तक जारी रखना है और अजवाज के लफ़ज़ में हमारे रिश्तेदार, साथी, दोस्त सब शामिल है।

जो पहली आयत मैं आपके सामने तिलावत की थी उसके बाद यह आयत-ए-करीमा आती है।

और यतामा को उन के अमवाल दो और ख़बीस चीज़ें पाक चीज़ों के	4:3
--	-----

तबादिला में न लिया करो और उन के अमवाल अपने अमवाल से मिलाकर न खा जाया करो। यकीनन यह बहुत बड़ा गुनाह है।	
--	--

दुल्हन जब माँ बाप को छोड़कर दूसरे घर में आती है वह भी एक यतीमा की तरह होती है और अपने साथ कुछ ज़ेवरात भी लेकर आती है। उसके माल का नाजायिज़ फायदा उठाना बहुत बुरी काम है और वह खुदा के नज़दीक गुनाह है।

ऐसे भी माँ बाप होते हैं जब अपनी बेटी घर से फारिग होती है तो यह समझते हैं कि लड़की तो चली गयी और उसे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। फिर सारे माल किसी दूसरे बेटे या बेटियों को दे देते हैं। अपने औलाद की दर्मियान इनसाफ के साथ पेश आना वालिदैन का भी फर्ज़ बनता है जैसे खुदा ने हुक्म दी हो। और जो भी इस में घड़बड़ करेगा, उनसे खुदा ने बहुत बड़ी ताकीद की है। यह माँ बाप को हमेशा याद रखना चाहिए।

और जो अल्लाह और उस के रसूल की नाफरमानी करे और उस की हदूद से तजावुज़ करे तो वह उसे एक आग में डालेगा जिस में वह एक लम्बे अरसे तक रहने वाला होगा और उस के लिए रुसवा कर देने वाला अज़ाब (मुकर्रर) है।	4:15
---	------

अभी मैं शादी की असली मक़सत की तरफ लौटता हूँ। शादी के असली मक़सत के बारे में खुदा तआला का फरमान है कि: -

और उस के निशानात में से (ये भी) है कि उस ने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिंस में से जोड़े बनाए ताकि तुम उन की तरफ तस्कीन	
---	--

(हासिल करने) के लिए जाओ और उस ने तुम्हारे दर्मियान मुहब्बत और रहमत पैदा कर दी। यकीनन उस में ऐसी क़ौम के लिए जो ग़ौर व फिकर करते हैं बहुत से निशानात हैं।

30:22

आपस में मुहब्बत पैदा करना ही शादी का मक़सत है। इसमें दोनों का ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है। मुहब्बत तो अकेला पैदा नहीं हो सकता, उसके लिए दोनों का कोशिश होना बहुत ज़रूरी है। आपस में दोनों को ऐसा ख़याल रखना चाहिए कि, एक दूसरे को भोज बनने के बिना सहारा बन जाए। शादी से पहले से भी इस मक़सत के लिए दुआएँ करनी चाहिए और यह दुआएँ हमें सिखाए गए हैं: -

ऐ हमारे रब्ब, हमें अपने जीवन साथियों और अपने औलाद से आखों की ठंडक अता कर और हमें मुत्तक़ियों का इमाम बना दे।

25:75

शादी के बाद औलाद पैदा होते हैं। नेक औलाद तो खुदा की एक निअमत है। नेक औलाद की तमन्ना काफी नहीं, वह पूरा होने के लिए दुआओं का भी ज़रूरत है। अक्सर लोग यह ख़याल करते हैं कि जब हम दौलत कमा लिया तो फिर सब कुछ पा लिया और खुदा को भूलना शुरू करते हैं। फिर जब उसको औलाद की तरफ़ से टक्कर आ जाती है तो फिर आँख खुल जाती है। जब हम खुदा को भूलते हैं इसका मतलब यह है कि हमने अपने आप को भुला दिया या खो दिया। हमारा दौलत से बच्चे को खाना पीना और ज़िंदगी का दूसरी खुशियाँ तो दे सकते हैं लेकिन बच्चे को नेक नहीं बना सकते। इसलिए दुआ की ज़रूरत पढती है। यह दुआएँ हमेशा याद कर के ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाना चाहिए।

ऐ मेरे रब्ब, मुझे अकेला ना छोड़ और तू  
सब वारिसों से बहतर है।

21:90

अकेलापन औलाद न होने पर भी और होने पर भी महसूस हो सकता है। औलाद होने के बाद बिगड़ भी जाते हैं। ऐसे बहुत मा। बाप है जो औलाद होने के बाद भी बुड़ापे में अकेले पड़ते है। इसलिए यह दुआ जिंदगी की हर वक़्त में जारी रकना है।

और ऐ हमारे रब्ब, हमें अपने दो  
फरमांबरदार बन्दे बनादे और हमारे  
ज़ुरियत में से भी अपने एक फरमांबरदार  
उम्मत (पैदा कर दे)। और हमें अपनी  
इबादतों और कुरबानियों के तरीक़ सिखा  
और हम पर तू बह कुबूल करते हुए झुके  
जा। यकीनन तू ही बहुत बह कुबूल करने  
वाला (और) बार बार रहम करने वाला है।

+2:129

ऐ मेरे रब्ब, मुझे नमाज़ कायम करने वाला  
बना और मेरी नसलों को भी। हमारे रब्ब,  
और मेरी दुआ कुबूल कर।

ऐ हमारे रब्ब, मुझे बख़श दे और मेरे  
वालदें को भी और मोमिनों को भी जिस  
दिन हिसाब बरपा होगा।

+14:42



हमारे बचपन में या जवानी में वालिदैन की कुरबानी का कोई पता नहीं चलेगा। जब हमें औलाद हो और जिंदगी की मुश्किलतें सामने आ जाएँ तो फिर माँ बाप का कुरबानी का पता चलता है। यह पूरी तौर पर समझने के लिए चालीस साल तक इन्तिज़ार करना पढ़ता है। इसलिए कुरआन करीम में यह दुआ सिखाया गया है कि: -

और हम ने इन्सान को ताकीदी नसीहत की के अपने वालिदैन से एहसान करे। उसे उस की माँ ने तक्लीफ के साथ उठाए रखा और तक्लीफ ही के साथ उसे जनम दिया। और उस के हमल और दूध छुड़ाने का ज़माना तीस महीने हैं। यहाँ तक के जब वह अपनी पुरख्तगी की उमर को पहुँचा और चालीस साल का हो गया तो उस ने कहा ए मेरे रब्ब, मुझे तौफीक अता कर कि मैं तेरी इस निअमत का शुक़रिया अदा कर सकूँ जो तू ने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर की और ऐसे नेक अअमाल बजा लाऊँ जिन से तू राज़ी हो और मेरे लिए मेरी ज़ुरियत की भी इसलाह कर दे। यकीनन मैं तेरी ही तरफ रुजूअ करता हूँ और बिला उब्हा मैं फरमांबरदारों में से हूँ।

46:16

बच्चों को दौलत का खुशी देना असली मुहब्बत नहीं है। असली मुहब्बत तो अपने आप को अपने औलाद को, रिश्तेदार को जहन्नम की आग से बचाना है। हमारा

कोशिश तो यह होना चाहिए कि हमारा सब रिश्तेदार को, साथियों को जहन्नम से बचाएँ।

ऐ लोगों जो ईमान लाए, अपने आप को और अपने अहले अयाल को आग से बचाओ	66:07
---	-------

इसलिए पहले अपने आप को नेक बनना पड़ेगा और खुद दूसरे को नेक करना पड़ेगा। जब भी हमारे औलाद जहन्नम की तरफ कदम बढ़ाता है उसको रोकना हमारी ज़िम्मेदारी बनती है।

खुदा तआला मर्द और औरत में जज़ा देने में कोई फरक नहीं किया। जो भी अच्छा काम करेगा ईमान के साथ, औरत हो या मर्द, उन दोनों को एक जैसा जज़ा मिलेगा और उन से किसी तरह का जुल्म नहीं किया जाएगा।

और मरदों और औरतों में से जो नेक आमाल बजा लाए और वह मोमिन हो तो यही वह लोग हैं जो जन्नत में दाखिल होंगे और वह खजूर की गुटली के सुराख के बराबर भी जुल्म नहीं किए जाएंगे।	4:125
--	-------

लेकिन खुदा तआला ने कियादत को मर्द के ऊपर दिया है। यह इसलिए कि: -

मर्द औरतों पर निगरान है उस फज़ीलत की वजह से जो अल्लाह ने उन में से ब़अज को ब़अज पर बख़शी है और इस वजह से भी के वह अपने अमवाल (उन पर) ख़र्च	
--	--

करते हैं। पस नेक औरतें फरमांबरदार और ग़ैब में भी उन चीज़ों की हिफाज़त करने वाली होती है जिन की हिफाज़त की अल्लाह ने ताकीद दी है।

4:35

यह आयते करीमा से ज़ाहिर है कि बीबी के ऊपर खर्च करना मर्द का ज़िम्मेदारी है। बीबी का जो भी माल हो वह अपना ही दौलत है। ख़ावन्द को उसपर कोई हक़ नहीं है, मगर बीबी अपनी खुशी से उसमें से देते है तो वह ले सकते है लेकिन ज़बरदस्ती करना मरद का हक़ नहीं है।

और औरतों को उन के मेहर दिली खुशी से अदा करो। फिर अगर वह अपनी दिली खुशी से उस में से कुछ तुम्हें देने पर राज़ी हो तो उसे बिला तरदुद शौक़ से खाओ।

4:5

इस आयत में जो भी महर हम लड़की को देते है वह महर वापस लेकर खाने की इजाज़त नहीं दी गयी। फिर लड़की की कमाई कैसे ख़ावन्द उनके मर्जी के खिलाफ़ खा सकते है? लड़की को पढ़ाने में उसकी माँ बाप बहुत खर्च करते है और उसकी कमाई में माँ बाप का भी एक हक़ होता है। लेकिन ऐसे शौहर भी है जो लड़की की कमाई को पूरे कबज़े में लेते है और उसकी माँ बाप को कुछ देने की इजाज़त भी नहीं देते। यह ऐसे लोग है जो जहन्नम का रस्ता खुद अपने आप के लिए चुन लिया है।

शादी की जिंदगी में मुहब्बत भी होती है और कभी कभी जगड़ा भी होती है। लेकिन एक सवाल उठता है, जगड़े में किसका साथ देना है। वालिदैन का साथ रहना या बीवी के साथ या ख़ावन्द के साथ। इसके जवाब से कुरआन करीम यह कहता है कि इन्साफ का साथ देना है।

<p>ऐ वे लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह की खातिर गवाह बनते हुए इन्साफ को मज़बूथी से कायम करने वाले बन जाओ ख़्वाह खुद अपने ख़िलाफ गवाही देनी पड़े या वालिदैन और क़रीबी रिश्तेदारों के ख़िलाफ जो कोई अमीर हो या ग़रीब दोनो का अल्लाह ही बहतरीन निगहबान है।</p>	<p>4:136</p>
--	--------------

शादी के बाद बच्चा पैदा होता है और सवाल यह उठता है लड़का होना चाहिए या लड़की। आम तौर पर ज़्यादातर लोग लड़के को पसंद करते हैं लेकिन खुदा ने लड़की को ज़्यादा पसंद किया है।

<p>जिसे चाहता है लड़कियाँ अता करता है और जिसे चाहता है लड़के अता करता है।</p>	<p>42:50</p>
<p>या कभी उन्हें बाहम मिला जुला देता है। कुछ नर और कुछ मादह। नीज़ जिसे चाहे उसे बाँझ बना देते हैं। यकीनन वह दायमी</p>	

इल्म रखने वाला (और) दायमी क़ुदरत वाला है।	42:51
---	-------

तो अगर लड़की भी मिले तो ज़्यादा खुशी की बात है और मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लड़की होना खुदा का फज़ल है और जन्नत में जाने के लिए खुदा ने हम को लड़कियों की ज़रिये आसानी मोहयया की है।

एक औरत से खुदा तआला क्या तवक्कुल रखता है। वह इसी आयत में बताया गया है: -

<p>ऐ नबी, जब मोमिन औरतें तेरे पास आएंगे (और) उस (अमर) पर तेरी बैयत करे, कि वह किसी को अल्लाह का शरीक नहीं टहराएगी और ना ही चोरी करेगी और ज़िना करेगी और न अपनी औलाद को क़तल करेगी और ना ही (किसी पर) कोई झूठा इल्ज़ाम लगाएगी जिसे वह अपने हाथों और पाओं के सामने घुडलें और न ही मअरूफ (अमूर) में तेरी नाफरमानी करेगी तो तू उन की बैअत क़बूल कर और उन के लिए अल्लाह से बरिश्श तलब कर। यकीनन अल्लाह बहुत बरिश्शने वाला और बार बार रहम करने वाला है।</p>	20:31
---	-------

इधर चोरी करने का क्या मतलब है? ख़ावन्द जब खर्च के लिए पैसा देता है उसमें से चोरी करती है। औरत को यह चाहिए कि वह शौहर से मुहब्बत करें और

अपनी ज़रूरियात उनसे बताएँ, तो ज़रूर ख़ावन्द अपनी खुशी से उसकी सारी मुरादे पूरी करेगा। अक्सर जो चोरी करती हैं ऐसे लड़कियाँ घमंडी होती हैं और ख़ावन्द से शोर मचाकर बातें करती हैं।

बीबी के नाम के साथ शोहर का नाम मिलाने का रिवाज़ इसलामी रिवाज़ नहीं है और यह रिवाज़ ख़ुदा तआला का इर्शाद के खिलाफ़ है।

उन को उन के आबा के नाम से पुकारा करो। यह अल्लाह के नज़दीक इंसान के ज़्यादा करीब है।		33:06
---	--	-------

-  
4948

यह हदीस अबू दावूद से ली गयी है।

अबू र्ददा बयान करते हैं कि रसूल (स) ने फरमाया, कियामत के दिन आप अपने नाम और अपने बाप के नाम के साथ पुकारा जाएंगे। इसलिए अपने आप के लिए अच्छा नाम चुना किया करो।

अगर बीबी से या ख़ावन्द से ऐसा कोई बद अखलाक़ है तो वह सहने में भी ख़ुदा तआला जज़ा रखा है और ऐसा कोई मुश्किलात हो तो ख़ुदा को याद करके सहना भी अच्छी बात है।

एक हदीस में रसूल करीम (स) फरमाते हैं:

जो बीबी का बदअखलक सहते है उसको एसा जज़ा मिलेगा जैसा अय्यूब नबी (अ) को दिया गया था, और जो ख़ावन्द अपना बीबी का बदअखलाक सहते है उसको एसा जज़ा मिलेगा जैसा फिरऔन की बीबी हः आसिया को मिला था।

जो भी खुशियं हमें इस ज़िंदगी से मिलता है वह सब खुदा से ही मिलती है। शादी भी एक ऐसा ही मौका है। लेकिन उस वक़्त खुदा का हुक्म को भूल जाना नाशुकरी बन जाता है। हम नमाज़ को छोड़ते हैं। रात देर तक बातें करके सुबह नहीं उठते और फजर की नमाज़ खो बैठते हैं। खुदा तअ़ाला नमाज़ के बारे में बताता है कि: -

यकीनन नमाज़ मोमिनोँ पर एक वक़ते मुकर्रर की पाबंदी के साथ फर्ज़ है।	4:104
--	-------

नमाज़ सही वक़्त पर अदा करना मोमिन का काम है और दूसरी जगह यह फरमाया गया है कि: -

(अपनी) नमाज़ों की हिफाज़त करो बिलखुसूस मरकज़ी नमाज़ की और अल्लाह के हज़ूर फरमांबरदारी करते हुए खड़े हो जाओ।	2:239
---	-------

शादी भी हमारे ज़िंदगी का एक वुस्ता है और उसीके दौरान नमाज़ को हरगिज़ छोड़ना नहीं चाहिए और नमाज़ को सही वक़्त पर अदा करना हमारा कोशिश होना चाहिए।

अभी शादी के बारे में औइ कुछ हदीसें पढ़कर सुनाऊंगा ...(by H. KM 1V R.A)

हज़रत इब्न उमर (र) कहते हैं कि मैं ने रसूलुल्लाह (स) को यह फरमाते हुए सुना कि तुम मैं हर एक निगरान है और अपनी रअिय्यत के बारे में पूछा जाने वाला है। चुनांचे इमाम भी निगरान है और अपनी रअिय्यत के बारे में पूछा जाने वाला है। और औरत अपने ख़ाविन्द के घर की निगरान है और अपनी रअिय्यत के बारे में पूछी जाने वाली है। (बुख़ारी किताबुल वसाया) यानी वह बच्चे जो घर में परवरिश पाते हैं और दूसरे हुकूक़ जो हैं वह उन की निगरान है और इस बारे में वह खुदा तआला के हुज़ूर जवाबदह होगी।

, : ) : □ , ( ,

हज़रत अबू हुरैराह (र) से रिवायत है वह रसूलुल्लाह (स) से बयान करते हैं कि आप ने फरमाया औरत से मालदारी, ख़ादानी वजाहत, हुसन व जमाल और दीनदारी के बाइस निकाह किया जाता है। तेरे दोनों हाथ ख़ाक आलूद हो तुझे कोई दीनदार औरत हासिल करना चाहिए।

हज़रत सअद बिन वकास (र) रिवायत करते हैं - आप (र) ने बताया कि रसूलुल्लाह (स) ने फरमाया खुदा की रज़ा चाहते हुए जो ख़र्च करोगे उस पर तुम्हें ज़रूर जज़ा मिलेगा। यहाँ तक कि उस लुक्मा पर भी जो तुम अपनी बीवी के मुंह में डालते हो। (बुख़ारी किताबुल ईमान)

मुसलिम किताबुल ज़कात में है हज़रत अबू हुरैरा (र) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (स) ने फरमाया अगर एक दीनार तू खुदा की राह में ख़र्च करे और एक दीनार तू गरदन आज़ाद करवाने पर ख़र्च करे, और एक दीनार किसी मिस्कीन पर ख़र्च करे



और एक दीनार तू अपने अहल पर खर्च करे तो उन में सेब से ज़्यादा अजर उस दीनार का होगा जो तू ने अपने अहल व अयाल पर खर्च किया होगा।

तिरमिज़ी किताबुल निकाह से यह रिवायत कैस बिन तलक की ली गयी है जो अपने वालिद तलक बिन अली (र) से रिवायत करते हैं कि उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह (स) ने फरमाया जब कोई मर्द अपनी बीवी को अपनी ज़रूरत के लिए बुलाए तो उसे चाहिए कि वह उस के पास चले आए ख़्वाह वह तनूर पर खड़ी हो। (सुनन तिरमिज़ी किताबुल निकाह) तनूर पर खड़ी होने का मतलब यह है कि ख़्वाह रोटी जल रही हो और यह ना कहे कि मैं इन्तिज़ार कर रही हूँ रोटियाँ पका रही हूँ मगर अगर ख़ावन्द को ज़रूरत है तो उस का पहला हक़ है उस की आवाज़ पर लब्बैक कहे।

मुसनद अहमद में यह रिवायत है हज़रत अब्दुल रहमान (र) मरवी है कि आहज़ूर (स) ने फरमाया कि जब कोई औरत पाँच वक़्त नमाज़ पढ़ती है और रमज़ान के रोज़े रखती है और अपनी इसमत की हिाफ़ाज़त करती है और अपने ख़ावन्द की फरमांबरदारी करती है तो उसे कहा जाता है कि जन्नत के जिस दरवाज़े से तू चाहे दाख़िल होजा। ( ) अब यह जन्नत के दरवाज़े के मुतअल्लिक़ भी बार बार वज़ाहत की गयी है कोई ऐसा गेट नहीं लगा हुआ वहाँ या कई गेट नहीं लगे हुए कि जहाँ से मर्ज़ी दाख़िल हो जाओ। मुराद यह है कि अपनी पसंद खुदा तअ़ाला की जन्नत में दाख़िल हो जाओ और तेरा हक़ है कि हर दरवाज़े से दाख़िल हो यानी रिज़ा के लिहाज़ से भी तू ने जो भी फरायज़ थे सब पूरे कर दिए इस लिए कि औरत को यह नेकियाँ इख़्तियार करने में खुदा तअ़ाला यह जज़ा देगा कि जिस तरह चाहे जन्नत में दाख़िल हो। अल्लाह तअ़ाला उसे क़ुबूल फरमाएगा।

बुख़ारी में हज़रत इब्न अब्बास (र) की एक रिवायत है कि आहज़रत (स) ने फरमाया मुझे आग दिखायी गयी है तो मैं क्या देखता हूँ कि उस में दाख़िल होने वालों की अकसरियत औरतों की है। इस की वजह यह है कि वह कुफ़र का इरतिकाब करती हैं। अर्ज़ किया गया वह अल्लाह का इंकार करती हैं? आप ने

फरमाया नहीं। वह इहसान फरामोशी की मुरतकिब होती है अगर तू उन में से किसी से सारी उम्र इहसान करे और फिर वह तेरी तरफ से कोई बात ख़िलाफ़ तबीअत देखे तो कहती है मैं ने तेरी तरफ़ से कभी कोई भलाई नहीं देखी।

( )

अब यह एक हदीस है जिस से मेरा दिल हमेशा दहल जाता है कि औरतों के पाओं के नीचे जन्नत भी है और औरतें बहुत तकलीफें उठाते, औलाद को अपने पेट में पालते और हर लिहाज़ से उन के हुक्कू हैं, यहाँ तक कि उन के मुतअल्लिक यह भी फरमाया गया है कि उन के पाओं तले जन्नत है बच्चों के लिए। इसके बावजूद जहन्नुम में जो उन की कसरत का ज़िक्र है उस से मेरा दिल दहल जाता है और छोटी सी बात की अगर फिकर करें तो फिर उस बात को वह महसूस कर ले कि मामूली सी नेकी करने से उन को खुदा तआला अज़ाब से बचा लेगा। यह अमूमन कहती है। पता नहीं क्या वजह है कि औरतों की क्या आदत है कि जब नाराज़ हो कोई लड़ाई हो तो ख़ावन्द बेचारे ने सारी उमर भी ख़िदमत की हो वह कहती है हम ने तुझसे कोई सुकून नहीं पाया हमेशा तू ने बुराई ही की है हमारी। और सारी उमर के इहसानात वह एक तरफ़ फैंक देती हैं। यह वह आदत है जिस से तौबा आसान है। इस्तिग़फ़ार करे, गुस्सा आए तो ख़ामोश हो जाया करें और कुछ देर के बाद समझ आजाएगी की ख़ावन्द ने बहुत एहसानात किए हुए हैं और इतनी सी बात से अगर जहन्नुम की आग से बच सकती हैं तो ऐसी नेकी नहीं जो इख़्तियार न की जासकती हो, बहुत भारी और बड़ी नेकी नहीं, बहुत मामूली बात है।

एक हदीस इब्न उमर (र) की बयान करता हूँ। आप (स) ने फरमाया यानी आहज़रत (स) से रिवायत है कि आप (स) ने फरमाया कि अल्लाह तआला के नज़दीक हलाल चीज़ों में से सब से नापसंदीदा चीज़ तलाक़ है।

( )

अब मैं हज़रत अक़दस मसीह मऊद (अ) कि बअज़ इरशादात आप के सामने रखता हूँ। आप (अ) फरमाते हैं: “मर्द घर का किश्तीबान होता है, अगर वह डूबेगा तो किश्ती भी साथ ही डूबेगी। इसी लिए कहा उस

की रस्तगारी के साथ उस की अहल व अयाल की रुस्तगारी है।” (3 , )  
 (4 1904 / 12 ,27 यहाँ का ग़लत मतलब बअज मर्द  
 समझते हैं। क़वाम का मतलब ग़ालिब और तश्दुद करने वाला नहीं है। क़वाम  
 से मतलब है सीधा रखने वाला, अपनी बीवी को सीधा रखना और उस की  
 तरबियत करना यह मर्द का फर्ज़ है। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो अपने फरायिज़  
 से ग़फलत करने वाला बनेगा। इसलिए हज़रत मसीह मऊद (अ) ने फरमाया “उस  
 की रस्तगारी के साथ उस की अहल की रुस्तगारी है।” अगर वह बद बातों से  
 आज़ाद रहना चाहता है, ग़लत बातों से आज़ाद रहना चाहता है तो खुद साफ बने  
 तो बीवी भी साफ ही बनेगी।

इसी बात की मज़ीद तशरीह करते हुए फरमाते हैं “मर्द चूँके  
 का मिसदाक़ है इस लिए अगर वह लअनत लेता है तो वह लअनत बीवी बच्चों  
 को भी देता है। और अगर बरकत पाता है तो हमसायों और शहर वालों तक को  
 भी देता है।” (8 1902 / 24 ,19 , 6 , )

अब यह एक एसा हुकम है जिसको अमूमन नज़र अंदाज़ कर दिया जाता है।  
 बअज लोग औरतों पर ऐसा रतझते हैं कि वह समझते हैं कि आज़ादी का उन का  
 हक़ यह है कि उन को दीन की मामलात में खुली छुट्टी देदी जाए और बहुत से  
 अफसरों में यह आदत है कि अपनी बीवियों को बेपर्दा मजालिस में लेके जाते हैं  
 और समझते हैं कि यह हम ने बीवी पर बड़ा इहसान किया है कि उसको खुली  
 रूखसत देदी है। यह नाजायिज़ हरकत है और बीवी पर ख़ूब खोल देना चाहिए कि  
 दीन कि मामले में मैं हरगिज़ नरमी नहीं करूँगा लेकिन दुनियावी मामलात में हर  
 आसूदगी दूँगा, हर आसाइश मोहिय्या करूँगा इस लिए ना समझना कि मैं  
 दुनियावी लिहाज़ से चशम पोशी नहीं कर सकता, वह मैं करता रहूँगा मगर दीन  
 कि मामले में समझलो कि दीन की हुदूद से तजावुज़ करने की इजाज़त मैं तुम्हें  
 नहीं दे सकता।

फिर हज़रत मसीह मौज़द (अ) के एक मक़तूब में जो मिया अब्दुल्लाह सनौरी साहिब (र) के नाम एक ख़त था उस का एक इक़तिबास है “औरतों के लिए ख़ुदा तआला का वादा है कि अगर वह अपने ख़ाविन्दों की इताअत करेगी तो ख़ुदा उन को हर बला से बचावेगा और उन की औलाद उमर वाली होगी और नेक बरक़्त होगी।” (207 5 5 )

फिर मलफूज़ात में दरज है: “अगरचे आहज़रत (स) की बीवियाँ सब काम कर लिया करती थी। झाडू भी दे लिया करती थी और साथ उस के इबादत भी करती थी। चुनांचे एक बीवी ने अपनी हिफाज़त के वासते एक रससा लटका रखता था कि इबादत में ऊंग न आजाए। औरतों के लिए एक टुकड़ा इबादत का ख़ावन्दों का हक़ अदा करना है एक टुकड़ा इबादत का ख़ुदा का शुक्र बजा लाना है।” (53 )

फिर फरमाते हैं “औरतों में एक ख़राब आदत यह भी है कि वह बात में मरदों की नाफरमानी करती हैं और उन की इजाज़त के बग़ैर उन का माल ख़र्च कर देती हैं और नाराज़ होने की हालत में बहुत कुछ बुरा भला के हक़ में कह देती हैं। ऐसी औरतें अल्लाह तआला और उस की रसूल की नज़दीक लअनती हैं।”

हुज़ूर (अ) फरमाते हैं: “वह लअनती है।” यह इस लिहाज़ से लअनती लफज़ बहुत सख़्त है मगर बिल्कुल सहीह चस्पा होता है। “उन का नमाज़ रोज़ा और कोई अमल मन्ज़ूर नहीं। अल्लाह तआला साफ़ फरमाता है कि कोई औरत नेक नहीं हो सकती जब तक पूरी पूरी ख़ावन्द की फरमांबरदारी न करे और दिली मुहब्बत से उस की तअजीम न बजा लाए और पस पुश्त उस के लिए उस की ख़ैर ख़्वाह न हो।” यह पस पुश्त की जो ख़ैर ख़्वाही है यह बहुत ही अहम है और उस को नज़र अंदाज़ करने के नतीजे में बहुत औलादें तबाह हो जाती हैं। चुनांचे मुझे एक दफ़ा इस बात का शोक पैदा हुआ पता करें कि बड़े बड़े मुख़्लिस लोगों की औलादें जो फिर गई या मुरतद हो गए क्या वजह थी। तो पेशावर, सूबा सरहद में भी मैं ने तहकीक़ की, बंगाल जा के भी तहकीक़ की तो हर सूरत में

यह पता चला कि ख़ावन्द जब बाहर होता था तो बीवी अपने बच्चों के कान भरती थी और ख़ावन्द के ख़िलाफ़ बातें करती रहती थी।

तो ग़ैर हाज़री में ख़ावन्द के हुक्क़ अदा करना बहुत ही ज़रूरी है और अगर ग़ैर हाज़री में उस के ख़िलाफ़ बच्चों के कान में बुरी बातें फूँकी जाएगी तो वह बच्चे बाप के तो बहर हाल नहीं बनेंगे मगर अक्सर माँ के भी नहीं बनते, किसी के भी नहीं रहते। वह यँहीं एक ऐसे जहाज़ की तरह जिस का कोई सहारा न हो मोड़ने की कोई चीज़ न हो वह तूफानी मौजों में जो गुनाह की तूफानी मौजें हैं उन में बहकते फिरते हैं। इस लिए आहज़रत (स) ने भी बहुत ज़ोर दिया और इसी ज़ोर के नतीजे में हज़रत मसीह मौज़द (अ) ने ज़ोर दिया है कि ख़ावन्द की ग़ैर मौजूदगी में कोई ऐसी बात न करो जिस से तुम्हारी औलाद तबाह हो जाए।

फिर बअज़ दफा कहते हैं औरतों से तो कोई पर्दा नहीं। हर किसम की औरत घर में आसकती है मगर हज़रत मसीह मौज़द (अ) इस बारे में बहुत ही अहम ताकीद करते हैं “औरतों पर भी लाज़िम है कि बदकार और बदवज़ औरतों को अपने घरों में ना आने दें और ना उन को अपनी ख़िदमत में रखे।” बदकार नौकरानियाँ अपनी ख़िदमत में न रखे वरना उस के बहुत बुरे नतीजे निकल सकते हैं तो वह बाद में उस वक़्त पछताएगी जब वक़्त हाथ से निकल चुका होगा। “क्योंकि यह सख़्त गुनाह की बात है कि बदकार औरत नेक औरत की हम सोहबत हो।”

(ملفوظات جلد پنجم جدید ای-شن صفحہ ۴۷، ۴۸)

“क़ुरआन शरीफ़ में यह हुक्म है कि अगर मर्द अपनी औरत को मुरव्वत और एहसान की रू से एक पहाड़ सौने का भी दे तो त़लाक़ की हालत में वापस ना ले। इस से ज़ाहिर है कि इस्लाम में औरतों की किस क़दर की इज्ज़त की गई है। एक तौर से तो मरदों को औरतों का नौकर टहराया गया है। और बहर हाल मरदों के लिए क़ुरआन शरीफ़ में यह हुक्म है कि यानी तुम अपनी औरतों से ऐसे हुस्न-ए-सुलूक से मआशरत करो कि हर एक अकलमन्द मालूम कर सके कि तुम अपनी बीवी से एहसान और मुरव्वत से पेश आते हो।” (چشم معرفت، روحانی)

(خزائن جلد ۲۳، صفحہ ۲۸۸)

इस ज़िम्न में जो औरतों की आज़ादी की मूवमेंट्स (Movements) हैं उन की तरफ से कई सवालों की मजलिस में, जब मुझ से सवाल होता है तो मैं उन को समझाता हूँ कि यह एक फितरी तकाज़ा है कि मर्द ज़्यादा ताक़तवर है और औरत कमज़ोर है। औरत नाज़ुक है और मर्द की सकीनत और औरत की सकीनत दोनों के लिए, यह बात ज़रूरी थी, तो बराबरी तुम कैसे मानोगी। क्या कभी बाक्सिंग (Boxing) में भी बराबरी हो सकती है कि एक तरफ औरत हो और दूसरी तरफ मर्द बाक्सर हो? क्या दौड़ों में भी तुम बराबरी रखते हो मर्दों और औरतों की दौड़ इक्वटी करवाते हो? क्या दूसरी खेलों में औरतों और मर्दों की खेलें अलग अलग नहीं होती? तो दिल से तसलीम करते हो कि मर्दों को खुदा ने मज़बूती क़वा दिए हैं और औरतें हर चीज़ में महज़ फर्ज़ी तौर पर बराबरी नहीं कर सकतीं तो जब तुम तक्सीम कर रहे हो तो फिर खुदा तआला की इस बात को मानने में तुम्हें क्या हरज है कि औरतों और मर्दों के क़वा का फरक है और इस पहलू से, मुनासिब हाल ज़िम्मेदारियाँ उन को सिपरद करनी चाहिए।

अब हज़रत नवाब मुबारका बीगम साहिबा (र) को हज़रत उम्मुल मुअमिनीन (र) ने जो नसायिह फरमायी थीं उन में से कुछ हज़रत नवाब मुबारका बीगम साहिबा के अलफाज़ में मैं आप के सामने पेश करता हूँ। “मुझे जो शादी के अय्याम में आप ने चंद नसायिह की थीं वह भी तहरीर कर देना मेरे खयाल में मुफीद होगा। फरमाया अपने शोहर से पोशीदा कोई काम किस को उन से छिपाने की ज़रूरत समझो हरगिज़ कभी नहीं करना।” अगर कोई काम छिपाने की ज़रूरत है तो न करो, वही पहचान है इस बात की कि यह नाजायिज़ बात है। “शौहर न देखे मगर खुदा तो देखता है और बात आख़िर ज़ाहिर होकर औरत की वक़अत को खो देती है। अगर कोई काम उन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ सरज़द हो जाए तो हरगिज़ कभी न छिपाना, साफ़ कह देना क्योंकि उस में इज़्ज़त है और छिपाने में आख़िर बेइज़्ज़ती और बेवक़री का सामना है।

“कभी उन के गुस्से के वक़्त न बोलना।” इस से पहले जो ज़िब्र है कि औरतें गुस्से के वक़्त में कह देती हैं हम पर कोई एहसान नहीं किया और सारी उमर जुल्म किया है। यह गुस्से की हालत में बोलने का नतीजा है। तब इस बदी से

बचने का बेहतर ज़रिया हज़रत अम्मा जान (र) यह बयान करती हैं - “कभी उन के गुस्से के वक़्त न बोलना। तुम पर या किसी नौकर या बच्चे पर ख़फ़ा हो और तुम को इल्म हो कि उस वक़्त यह हक़ पर नहीं हैं तब भी उस वक़्त न बोलना। गुस्सा थम जाने पर फिर आहिस्तगी से, हक़ और उन का ग़ल्ती पर होना उन को समझा देना। गुस्से में मर्द से बहस करने वाली औरत की इज्ज़त बाक़ी नहीं रहती। अगर गुस्से में कुछ सख़्त कह दें तो कितनी हतक का मूजिब हो। उन के अजीज़ों को, अजीज़ों की औलाद को अपना जानना। किसी की बुराई न सोचना ख़्वाह तुम से कोई बुराई करे। तुम दिल में भी सब का भलाई चाहना और अमल से भी बदी का बदला न करना। देखना फिर हमेशा ख़ुदा तुम्हारी भला करेगा।”

2- निकाह का ईलान

3 - दुआ